

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-313/2011)/अलेसे-11/18080-83 दिनांक :- 10.12.14.

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र पांचाल, सहायक लेखाधिकारी 11, प्रोबेशनर (मेरिट नं 313/2011) कार्यालय उप कोषाधिकारी, सैपऊ, धौलपुर को दिनांक 10.09.2014 से 23.09.2014 तक कुल 14 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश की श्री पांचाल की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से प्रविष्टि अंकित करावे।

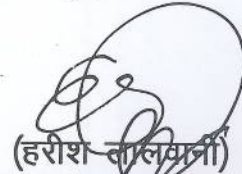


(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-313/2011)/अलेसे-11/18080-83 दिनांक :- 10.12.14

प्रतिलिपि:-

1. कोषाधिकारी, धौलपुर।
2. उप कोषाधिकारी, सैपऊ, धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री पांचाल एक प्रोबेशनर है। अतः परीक्षा की तैयारी जैसे कार्यों के लिए अनावश्यक अवकाश के लिए अवकाश दिये जाने की स्थिति भविष्य में नहीं आवें।
3. श्री नरेन्द्र पांचाल, सहायक लेखाधिकारी 11 (प्रोबेशनर) कार्यालय उप कोषाधिकारी, सैपऊ, धौलपुर।
4. उप निदेशक, ए.सी.पी शाखा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/पदस्थापन/रक्षित पत्रावली।



(हरीश लाल वर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)